भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
कृषि भवन, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली–110 001
Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi 110 001

फा0सं0 रा0भा0 1(2)/2015–हिन्दी

दिनांक : 14 मार्च, 2016

परिपत्र

विषयः हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना वर्ष 2015 के संबंध में

उपर्युक्त विषय में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है पुरस्कार योजना **'राजभाषा गौरव'** के अंतर्गत 1.1.2015 से 31.12.2015 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित की गई हैं। उक्त योजना से संबंधित दिशा निर्देश राजभाषा विभाग के दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12011/01/2015–रा.भा.(का02) भाग–1 के माध्यम से जारी किया गया है। इसकी एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं। इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** या **www.icar.org.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

सीमा चोपड़ा 14.3.16
(सीमा चोपड़ा)
उप निदेशक (राजभाषा)

वितरणः–

1. भा.कृ.अनु.प. के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों के निदेशक
2. भा.कृ.अनु.प. मुख्यालय के सभी अधिकारी/अनुभाग जिसमें कृषि अनुसंधान भवन–1 और 2 भी शामिल है।
3. श्री हंसराज, सूचना प्रणाली अधिकारी, कृ.अनु.भ.–1, पूसा नई दिल्ली–110012 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसे परिषद की वेबसाइट पर भी अपलोड करने की कृपा करें।

संख्या 12011/01/2015-रा.भा.(का0-2)/भाग-1

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन, जय सिंह रोड,

नई दिल्ली-110001 दिनांक 7 दिसंबर, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2015

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए चलाई जा रही निम्नलिखित पुरस्कार योजनाओं के लिए 01.01.2015 से 31.12.2015 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें आमंत्रित हैं ।

1. **केन्द्र सरकार के कार्मिकों(सेवानिवृत सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार**

पात्रता/शर्तें :

(i) पुस्तक के लेखक केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत संस्थाओं/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत/सेवानिवृत अधिकारी कर्मचारी हों।

(ii) लेखक अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/पूर्व विभाग के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ इस विभाग को भेजें । **(प्रपत्र-1)**

पुरस्कार :

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :-

प्रथम पुरस्कार	-	₹ 1,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार	-	₹ 75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	-	₹ 60,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार	-	₹ 30,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

2. **भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार**

विषय : पुस्तक आधुनिक तकनीकी/विज्ञान की किसी विधा अथवा समसामयिक विषय पर लिखी हो सकती है । उदाहरणार्थ :-

(i). इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जैव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान आदि।

(ii). समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण नियंत्रण आदि।

पात्रता : भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।(प्रपत्र-2)

पुरस्कार :

प्रथम पुरस्कार (एक)	-	₹ 2,00,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	-	₹ 1,25,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	-	₹ 75,000, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार (दस)	-	₹ 10,000 प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न प्रत्येक को

3. उपर्युक्त दोनों योजनाओं के लिए सामान्य शर्तें :

(i) प्रविष्टि उपर्युक्त पुरस्कार योजनाओं में से केवल एक योजना के लिए ही भेजी जा सकती है। पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रत्येक सहलेखक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए।

(ii) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों। अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं ।

(iii) किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी । ऊपरविषयक योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।

(iv) योजना के अंतर्गत 01.01.2015 से 31.12.2015 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

(v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए । पीएच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक पात्र नहीं होगी ।

(vi) लेखक पुस्तक में दिए गए आंकड़ों एवं तथ्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे और उनके प्रमाण में जहां तक संभव हो, संदर्भ देंगे ।

(vii) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी । तथापि, सहलेखक(यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है । सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जाएगी ।

(viii) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो ।

(ix) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

(x) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

4. प्रविष्टि भेजने की विधि :

(i) प्रविष्टियां अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाएं अन्यथा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ii) कृपया प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां भेजें । पुस्तकें वापिस नहीं की जाएंगी ।

(iii) एक लेखक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है ।

(iv) निर्धारित प्रपत्र भरकर प्रविष्टियां 30 अप्रैल, 2016 तक राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया :

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा ।

6. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण :

(i) पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी ।

(ii) पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा ।

7. सामान्य :

(i) पुरस्कार के लिए पुस्तक के मूल्यांकन के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(ii) पुरस्कार वितरण के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी (वातानुकूलित) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा । ठहरने की व्यवस्था स्वयं अपने खर्चे पर करनी होगी।

(iii) योजना के बारे में सूचना विभाग की वैबसाइट http://rajbhasha.gov.in पर भी उपलब्ध है।

8. प्रविष्टि भेजने का पता :

उप निदेशक(कार्यान्वयन),

कार्यान्वयन-2 अनुभाग, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,

'बी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,

फोन-011-23438143

7/12/2015

(हरिन्द्र कुमार)

निदेशक(कार्यान्वयन)

दूरभाष -011-23438129

प्रति :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय / उपराष्ट्रपति सचिवालय /लोकसभा सचिवालय /राज्यसभा सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय /मंत्रिमंडल सचिवालय /निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग -अनुरोध है कि इस योजना को अपने संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों की जानकारी में लाएं।
3. निदेशक, जन-संपर्क(गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना के संबंध में प्रेस तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में समुचित सूचना प्रचालित करें।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
5. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को समस्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें ।
6. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली. ।
7. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें ।
8. राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।

(हरिन्द्र कुमार)
निदेशक(कार्यान्वयन)